**राजस्थान सरकार**
**मंत्रिमण्डल सचिवालय**

कमांकः प. 25(5)मं.मं./2012 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 16 AUG 2023

1. **समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)**

# परिपत्र

**विषयः– राजकीय संस्थाओं/निजी संगठनों से पुरस्कार प्राप्त किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समय–समय पर राजकीय संस्थाओं/निजी संगठनों द्वारा पुरूस्कार प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। जिसके संदर्भ में परीक्षण कर इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.07.2017 द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के संबंध में केन्द्र सरकार में जो नोडल विभाग है, राज्य सरकार में भी उन्हीं विभागों को नोडल विभाग नामित किया जाकर संबंधित पुरस्कारों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने व उनका सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाकर केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये हुये है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में राज्य सरकार स्तर पर कोई प्रस्ताव नही भिजवाये जायेंगें।

इसी की निरन्तरता में राज्य सरकार के पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीगण को राजकीय संस्थाओं/निजी संगठनों से पुरस्कार प्राप्त किये जाने के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांकः 11017/05/2023-AIS-III दिनांक 22.6.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः पालना की जानी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 21.7.2017 एवं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त मेमोरेण्डम दिनांक 22.6.2023 की प्रति संलग्न कर तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(दिनेश कुमार)
**प्रमुख शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव/सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।

**प्रमुख शासन सचिव**

**राजस्थान सरकार**
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 25(5)मं.मं. / 2012 पार्ट–I जयपुर, दिनांकः 21/7/17

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

## -:: परिपत्र ::-

विषयः– भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के संबंध में प्राप्त पत्रादि पर, राज्य सरकार के संबंधित नोडल विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के संबंध में केन्द्र सरकार में जो नोडल विभाग है राज्य सरकार में भी उन्हीं विभागों को नोडल विभाग नामित किया जाकर संबंधित पुरस्कारों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने व उनका सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाकर केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जाये। पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.सं. | पुरस्कार का नाम | केन्द्र सरकार का नोडल विभाग / मंत्रालय | राज्य सरकार में प्रस्तावित नोडल विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | गांधी शांति पुरस्कार | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय | पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग |
| 2. | जीवन रक्षा पदक पुरस्कार | गृह मंत्रालय | गृह विभाग |
| 3. | टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय | पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग |

साथ ही निम्न निर्णय भी लिये गये हैंः–

(1) भविष्य में अगर कोई नये पुरस्कारों के संबंध में प्रस्ताव मंगवाने हो तो प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही राज्य सरकार के संबंधित नोडल विभाग द्वारा ही की जाये।

(2) निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में राज्य सरकार स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये जायेंगें।

सभी संबंधित कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

(एन0एल0 जेवरिया)
शासन उप सचिव

**No. 11017/05/2023-AIS-III**
**Government of India**
**Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions**
**Department of Personnel & Training**
***

North Block, New Delhi
Dated the 22nd June, 2023

## OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Guidelines on acceptance of awards from Government Bodies / Private Organizations by members of All India Services.**

Instructions have been issued by this Department from time to time regarding acceptance of awards by members of the All India Services (AIS) from Government and Private Bodies/Institutions/Organizations, in accordance with Rule 12(1) of AII India Services (Conduct) Rules, 1968.

2. It was stipulated vide DoPT Letter No. 11017/48/93-AIS(III) dated 20thOctober,1993, that awards sought to be given by private bodies and institutes to members of the AIS do not need to be encouraged, *inter alia,* because of the fact that there are various methods open to Government themselves to recognize the merits and service of a member of the AIS, and it would not be appropriate to accept an award from a private body. In exceptional circumstances like rewarding the merit of an officer for work done outside the purview of his functions in Government or where Government otherwise thinks that an individual officer deserves a particular award, it was left to the discretion of the Competent Authority to decide in a reasonable and judicious manner, based on the main criterion that such an award should not have a monetary component.

3. It was further clarified vide DoPT letter No. 11017/71-93-AIS(III) dated 9th August,1994 that it is not appropriate for members of the AIS to accept awards from Private Bodies.

4. It has, however, been observed that members of the AIS are accepting awards/recognition accorded by Private Bodies / Institutions / Organizations, and the aforementioned instructions are not being followed in their true spirit.

5. Accordingly, it is clarified that:

(i) Awards given by Private Bodies / Institutions / Organizations may be accepted only with prior approval of Competent Authority.

(ii) In case of officers serving in the State, the Competent Authority would be the State Government.

(iii) In case of officers serving in the Centre, the Competent Authority would be the Secretary of the Ministry / Department concerned. In case of Secretaries to Government of India, the Competent Authority would be the Cabinet Secretary.

**Cont'd....**

(iv) The Competent Authority may grant approval, only in exceptional circumstances, as elucidated in para 2 above, subject to the following conditions:

(a) The award should not have any monetary component in the form of cash and/or facilities.

(b) Credentials of the Private Bodies / Institutions / Organizations should be unimpeachable.

6. All Ministries / Departments of Government of India and State / UT Governments are requested to ensure strict adherence to these guidelines.

22/06/23

(Ram Lakhan)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23093479

To:

1. All Secretaries to Government of India
2. All Chief Secretaries
3. MHA, as the Cadre Controlling Authority of Indian Police Service
4. MoEF&CC, as the Cadre Controlling Authority of Indian Forest Service